तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
26/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस/सम्मन से की जाकर एवं रिपोर्ट हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 3/10/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
3/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस/सम्मन से की जाकर एवं रिपोर्ट हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 16/10/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
	16/10/25 पत्रावली पेश हुई। ... अवकाश/P.O. ... राजकार्य ... स्थगित होने से जनरल तारीख पेशी हो ... आदेश की पालना ... 19/11/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
19/11/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। तहसीलदार बांदीकुई के पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/9924 दिनांक 12/11/2025 के द्वारा मौका व रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र मूल पर बहस की गयी। हमने प्रार्थी वकील की बहस सुनी। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रार्थी वकील बहस पर मनन उसे अवलोकन किया। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र व पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत नाम दुरुस्ती स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 19/11/25

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

मुकदमा नम्बर 70/2025
दर्ज दिनांक 19.06.2025
निर्णय दिनांक 19.11.2025

उनवान

1. छोटा देवी पत्नि रामनारायण जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 21 सैनी कॉलेज के सामने बांदीकुई जागीर तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान ।

प्रार्थी................ ।

बनाम

1. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थी............ ।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते नाम दुरूस्ती)

निर्णय

दिनांक 19.11.2025

प्रार्थना प्रार्थीया की ओर से धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते नाम दुरूस्ती का न्यायालय मे जरियें वकील श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल एडवोकेट द्वारा दिनांक 19.06.2025 को पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:– खाता संख्या नया 36 पुराना 32 खसरा नम्बरान 191 रकबा 0.66 हैक्टेयर चाही 2 जाव 2 कुल किता 01 कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर वाके रामा नारायणपुरा, पटवार हल्का नारायणपुरा भू.अभि.नि. श्यालावासकलॉ, तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीया का हिस्सा 1/3 राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। भूमि मुतदाविया वर्णित प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 01 में प्रार्थीया का नाम बतौर खातेदार छोटी देवी पत्नि रामनारायण जाति सैनी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज हो रहा है जो प्रार्थीया का नाम सहवन से गलत दर्ज हो रहा है। छोटी देवी पत्नि रामनारायण प्रार्थीया का घर का बोलता नाम है जबकि प्रार्थीया का सही नाम छोटा देवी पत्नि रामनारायण है प्रार्थी के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, ई श्रमकार्ड, राशनकार्ड, आदि में तथा प्रार्थीया के द्वारा भूमि को कय किये जाते समय करवाये गये रजिस्टर्ड विकय पत्र में भी प्रार्थीया का नाम छोटा देवी पत्नि रामनारायण दर्ज है जो सही है। छोटी देवी पत्नि रामनारायण व छोटा देवी पत्नि रामनारायण एक ही महिला है तथा प्रार्थीया का छोटा देवी पत्नि रामनारायण ही सही नाम है लेकिन सहवन से भूमि मुतदाविया वर्णित प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 01 में प्रार्थीया का नाम छोटी देवी पत्नि रामनारायण प्रार्थीया का घर का बोलता नाम दर्ज हो रहा है जो गलत इन्द्राज हो रहा है। उक्त गलत इन्द्राज के कारण भविष्य में प्रार्थीया व प्रार्थीया के वारिसान को भूमि मुतदाविया का नामान्तकरण खुलवाने या किसी भी प्रकार की निजी या सरकारी सुविधा प्राप्त करने में कानूनी अडचन पैदा होगी इसलिये उसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित एंव लाजमी है। ऐसी सूरत में प्रार्थीया न्यायालय से इस अमर की दुरूस्ती करवाने का विधिक अधिकारी है कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 01 में वर्णित भूमि मुतदाविया में प्रार्थीया के गलत नाम छोटी देवी पत्नि रामनारायण को दुरुस्त करके प्रार्थीया का सही नाम छोटा देवी पत्नि रामनारायण राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे। प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 01 में वर्णित भूमि मुतदाविया के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया के नाम के गलत इन्द्राज को दुरूस्त किये जाने में भूमि मुतदाविया के सहखातेदारान पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पडने की कोई सम्भावना नहीं है तथा प्रार्थीया के गलत नाम को हजफ किया जाकर प्रार्थीया का भूमि मुतदाविया में सही नाम इन्द्राज किये जाने में किसी प्रकार की कोई कानूनी अडचन भी नहीं है। प्रार्थीया को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर प्रार्थीया ने तहसीलदार महोदय बांदीकुई के समक्ष उक्त नाम को दुरूस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार द्वारा न्यायालय से आदेश लाने के लिए कहां जिस पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण उत्पन्न होकर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है। भूमि मुतदाविया न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से न्यायालय हाजा को प्रार्थना पत्र की सुनवाई

२५६ –

Scanned with OKEN Scanner

का पूरा–पूरा अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रार्थीया की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 01 में वर्णित भूमि मुतदाविया में प्रार्थीया के नाम के गलत इन्द्राज छोटी देवी पत्नि रामनारायण को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी का सही नाम छोटा देवी पत्नि रामनारायण जाति सैनी दर्ज किया जावे तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेशित फरमाया जावे कि उक्त दुरूस्ती का इन्द्राज जमाबन्दी में दर्ज करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। तहसीलदार बांदीकुई रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उनके पत्रांक 9924 दिनांक 12.11.2025 के द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट निम्न प्रकार पेश की गईः– उनवानी प्रकरण संख्या 70/2025 छोटादेवी बनाम राज. सरकार दावा/प्रा.प. नाम दुरूस्ती में मौका व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट पटवारी हल्का नारायणपुरा द्वारा पेश की गयी है। मुताबिक पटवारी हल्का के बिन्दुवार रिपोर्ट निम्न प्रकार है। ग्राम नारायणपुरा के खाता सं. 36 के ख.न. 191 रकबा 0.66 है. की खातेदारी छोटीदेवी पत्नी रामनारायण हि. 1/3 जाति सैनी सा. देह वगै. के नाम दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त खसरा नम्बर पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है। प्रार्थिया द्वारा उपरोक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 14.09.2011 को क्रय की थी। विक्रय पत्र में प्रार्थिया का नाम छोटादेवी पत्नी रामनारायण दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हलका द्वारा ग्राम नारायणपुरा में नामान्तरकरण सं. 221 दिनांक 20.09.2011 दर्ज किया था। उक्त नामान्तरकरण में भी प्रार्थिया का नाम छोटादेवी पत्नी रामनारायण हि. 1/3 जाति सैनी सा. देह दर्ज रिकार्ड है।

तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उक्त रिपोर्ट पेश होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विक्रय पर दिनांक 14.09.2011 में प्रार्थीया का नाम छोटा देवी पत्नी रामनारायण है। उसी अनुसार नामान्तकरण संख्या 221 दिनांक 20.09.2011 में भी छोटा देवी दर्ज है।जबकि ग्राम नारायणपुरा भू. अभिलेख निरीक्षक श्यालावास कलां संवत 2073–2076 की जमाबन्दी खाता संख्या नया 36 पुराना 32 छोटी देवी पत्नी रामनारायण हिस्सा 1/3 दर्ज है जिसे छोटा देवी पत्नी रामनारायण हिस्सा 1/3 दर्ज शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते नाम दुरूस्ती का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि खाता संख्या नया 36 पुराना 32 खसरा नम्बरान 191 रकबा 0.66 हैक्टेयर चाही 2 जाव 2 कुल किता 01 कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर वाके रामा नारायणपुरा, तहसील बांदीकुई जिला दौसा में प्रार्थीया का दर्ज गलत नाम छोटी देवी पत्नी रामनारायण के बजाय शुद्ध नाम छोटा देवी पत्नी रामनारायण जाति सैनी हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे शेष इन्द्राजात जमाबन्दी यथावत रहेगा। तहसीलदार बांदीकुई नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे। तहरीर जारी होकर प्रकरण फैसल शुमार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा उक्त निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/11/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

का पूरा–पूरा अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रार्थीया की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 01 में वर्णित भूमि मुतदाविया में प्रार्थीया के नाम के गलत इन्द्राज छोटी देवी पत्नि रामनारायण को दुरुस्त किया जाकर प्रार्थी का सही नाम छोटा देवी पत्नि रामनारायण जाति सैनी दर्ज किया जावे तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेशित फरमाया जावे कि उक्त दुरुस्ती का इन्द्राज जमाबन्दी में दर्ज करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। तहसीलदार बांदीकुई रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उनके पत्रांक 9924 दिनांक 12.11.2025 के द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट निम्न प्रकार पेश की गईः– उनवानी प्रकरण संख्या 70/2025 छोटादेवी बनाम राज. सरकार दावा/प्रा.प. नाम दुरुस्ती में मौका व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट पटवारी हल्का नारायणपुरा द्वारा पेश की गयी है। मुताबिक पटवारी हल्का के बिन्दुवार रिपोर्ट निम्न प्रकार है। ग्राम नारायणपुरा के खाता सं. 36 के ख.न. 191 रकबा 0.66 है. की खातेदारी छोटीदेवी पत्नी रामनारायण हि. 1/3 जाति सैनी सा. देह वगै. के नाम दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त खसरा नम्बर पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है। प्रार्थिया द्वारा उपरोक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 14.09.2011 को क्रय की थी। विक्रय पत्र में प्रार्थिया का नाम छोटादेवी पत्नी रामनारायण दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हलका द्वारा ग्राम नारायणपुरा में नामान्तरकरण सं. 221 दिनांक 20.09.2011 दर्ज किया था। उक्त नामान्तरकरण में भी प्रार्थिया का नाम छोटादेवी पत्नी रामनारायण हि. 1/3 जाति सैनी सा. देह दर्ज रिकार्ड है।

तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उक्त रिपोर्ट पेश होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विक्रय पर दिनांक 14.09.2011 में प्रार्थीया का नाम छोटा देवी पत्नी रामनारायण है। उसी अनुसार नामान्तकरण संख्या 221 दिनांक 20.09.2011 में भी छोटा देवी दर्ज है।जबकि ग्राम नारायणपुरा भू. अभिलेख निरीक्षक श्यालावास कलां संवत 2073–2076 की जमाबन्दी खाता संख्या नया 36 पुराना 32 छोटी देवी पत्नी रामनारायण हिस्सा 1/3 दर्ज है जिसे छोटा देवी पत्नी रामनारायण हिस्सा 1/3 दर्ज शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते नाम दुरुस्ती का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि खाता संख्या नया 36 पुराना 32 खसरा नम्बरान 191 रकबा 0.66 हैक्टेयर चाही 2 जाव 2 कुल किता 01 कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर वाके रामा नारायणपुरा, तहसील बांदीकुई जिला दौसा में प्रार्थीया का दर्ज गलत नाम छोटी देवी पत्नी रामनारायण के बजाय शुद्ध नाम छोटा देवी पत्नी रामनारायण जाति सैनी हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे शेष इन्द्राजात जमाबन्दी यथावत रहेगा। तहसीलदार बांदीकुई नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे। तहरीर जारी होकर प्रकरण फैसल शुमार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा उक्त निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/11/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner